बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

।। संकल्प ।।

विषयः– शहरी क्षेत्र में हर घर तक पक्की गली–नालियों के लिए "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की संकल्प संख्या– 673, दिनांक– 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में शहरी क्षेत्रों में हर नाली–गली का पक्कीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत है :--

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क–विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सभी गाँव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाएगा।"

इसके लिए नगर विकास के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना **"मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना"** प्रवर्तित एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है।

यह नई योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अगले वित्तीय वर्ष में जारी नहीं रहेगी, परंतु मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत पूर्व से लंबित योजनाएं एवं अवशेष राशि इस नई योजना में समाहित हो जाएंगी।

2. *पृष्ठभूमि*

(i) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 20,13,671 परिवार निवास करते थे। वर्ष 2020 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की संख्या–24,16,405 अनुमानित है।

(ii) शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः चार तरह की सड़कें होती है– प्रधान मुख्य सड़कें, मुख्य सड़क, शाखा सड़क एवं गली। इन सभी सड़कों से पानी निकालने के लिए नाला–नाली संबद्ध होते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रधान सड़क एवं मुख्य सड़क का निर्माण प्रायः पथ निर्माण विभाग एवं जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा हो चुका है। लेकिन शाखा सड़क एवं गलियों एवं इससे संबद्ध नालियों की स्थिति में सुधार (पक्कीकरण) की नितांत आवश्यकता है।

(iii) वर्ष 2011 तक शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर था जो कि 2020 तक लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर हो जायेगा। इसके लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में गलियाँ है, जिसमें शहर के लगभग 75 प्रतिशत आबादी निवास करती है।

(iv) शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ज्यादातर गलियों में निवास करते हैं। गली एवं नाली की जर्जर स्थिति के कारण यहाँ के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। शहरी परिवारों को इस स्थिति से निजात दिलाना ही इस योजना का मुख्य मकसद है।

3. योजना का उद्देश्य

योजना के निम्नांकित उद्देश्य है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्र के वैसी गलियों एवं नालियों जिनका पक्का निर्माण नही हो पाया है, उसे पूरा करना है।

(ii) नालों के चयन में आउटफॉल एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी। सबसे ज्यादा जल जमाव वाले स्थान पर ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जाएगा, जिससे ज्यादा पानी निकल सके।

(iii) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नगर निकायों में रहने वाली आबादी को सुगम पथ एवं जल–मल की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करने का दायित्व है। इस योजना से शहरी गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण कर परिवारों को निवास हेतु स्वच्छ माहौल तैयार किया जाना है।

(iv) मुख्यमंत्री शहरी गली एवं नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों के कार्य प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है।

4. रणनीति

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की वैसी गलियाँ एवं नालियाँ, जिसे अभी तक पक्का नही किया जा सका है, उनको चिह्नित कर GIS Map पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें जो कि गलियों में निवास करती हैं, उसे मुख्य सड़क से जोड़ते हुए पक्की सड़को का निर्माण किया जाएगा एवं नाली का निर्माण कर गली के नाली को मुख्य नाला में जोड़ा जायेगा।

(iii) इस योजना के चयन से लेकर निर्माण तक के लिए संबंधित नगर निकाय नोडल एजेंसी होगी। नगर निकाय अपने–अपने संबद्ध क्षेत्रों में इस योजना हेतु गली एवं नाली का प्राथमिकतावार सूची एवं डी०पी०आर० तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करेंगे तत्पश्चात् नगर निकाय में उपलब्ध निधि से इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे।

(iv) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सरकार के निश्चय की प्राप्ति के उद्देश्य से योजना की मार्गदर्शिका में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

5. निधि की व्यवस्था एवं बजट प्रावधान

(i) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य योजना से बजट उपबंध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष, 2016–17 में 140 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है। पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि इस योजना के लिए कर्णांकित किया जाएगा। राज्य योजना के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–0115–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदानविपत्र कोड–P2217011910115, मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी

के नगरों का समेकित विकास –लघु शीर्ष–193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–उपशीर्ष–0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217031930103, मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उपशीर्ष–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217017890102, मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास –लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उपशीर्ष–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217037890102, एवं मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास –लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उप–योजना –उपशीर्ष–0101–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217037960101 से राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना का अलग खाता खोला जाएगा। पंचम् राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि की इस योजना हेतु कर्णांकित राशि इस खाते में रखी जाएगी। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली राशि भी इसी खाते में रखी जाएगी।

6. अनुश्रवण की व्यवस्था

(i) संबंधित नगर निकाय बोर्ड, नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे।

(ii) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी योजानाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगे।

(iii) राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत होगी, जो "राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति" के रूप में कार्य करेगी –

विशेष सचिव	**सचिव (सदस्य)**
मुख्य अभियंता	**सदस्य**
नोडल पदाधिकारी	**सदस्य**

7. <u>गुणवत्ता नियंत्रण</u> :–

(i) **प्रथम स्तर**– निकाय स्तर पर संवेदक/प्रभारी अभियंता द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता समन्वयक (Distric Quality Monitor-DQM):– इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इसके संबंधित विस्तृत आदेश/दिशा निर्देश/अनुदेश निर्गत किया जायेगा। बिहार विकास मिशन के जिला स्तरीय "परियोजना प्रबंध इकाई" के विशेषज्ञों द्वारा भी अनुश्रवण किया जायेगा।

(iii) **तृतीय स्तर**– राज्य गुणवत्ता समन्वयक (State Quality Monitor-SQM):– इसके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर विस्तृत आदेश/निर्देश/अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

(iv) **तृतीय पक्ष निरीक्षण**– सभी योजनाओं के प्रमुख सामग्रियों यथा पाईप, पम्प, मोटर, ट्रांसफर्मर आदि के लिए Third Party Inspection अनिवार्य होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24.2.16

(अमृत लाल मीणा),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/मु0श0ना0ग0यो0—30—01/2016 1288 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांकः 25/2/16

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

24.2.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/मु0श0ना0ग0यो0—30—01/2016 1288 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांकः 25/2/16

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/टीम लीडर, स्पर/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता तथा सभी सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.16

सरकार के प्रधान सचिव।

सानु.